

(53)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकरण/अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
परिपत्र संख्या: डीजी-33/2012 दिनांक: लखनऊ: जुलाई 12, 2012
13

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

विषय: पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय में श्री आर०एम० श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, गृह, उ०प्र०शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:2056/छ:-मा०-1/12-44(विविध)/06 दिनांक 04-07-2012 व उसके साथ साथ संलग्न मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12-05-2010(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। शासन ने पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:361पीआर/ छ:-मा०-1/12-44 (विविध)/06 दिनांक 24-08-2006 को निरस्त करते हुये मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12-05-2010 द्वारा की गयी संशोधित संस्तुतियों के क्रम में पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में निम्नलिखित आदेश दिये हैं।

2- पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में प्रदेश पुलिस द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक एवं सावधानी के साथ इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों में पुलिस बल के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो व वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। किसी भी दशा में नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन/उल्लंघन न होने पाये और इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय :-

- (1) पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सूचना उचित पंजिका में दर्ज की जाय।
- (2) जिन मामलों में सम्बन्धित थाने के अधिकारी ही मुठभेड़ दल के सदस्य हों और मुठभेड़/कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाय तो ऐसे सभी मामलों में यह अपेक्षित है कि प्रकरण की किसी अन्य स्वतन्त्र जांच एजेन्सी, यथा-सीबी, सीआईडी से जांच करायी जाय।
- (3) जिन मामलों में पुलिस बल पर संज्ञेय आपराधिक हत्या के कृत्य के आक्षेप हों, उनमें आई०पी०सी० की संगत धाराओं के अन्तर्गत एफ०आई०आर० प्रत्येक दशा में दर्ज की जाय। ऐसे मामलो की जांच सीबी, सीआईडी अथवा किसी अन्य विशिष्ट जांच एजेन्सी से कराई जाय।

शेष पृष्ठ-2 पर.....

- (4) पुलिस कार्यवाही में मृत्यु के सभी प्रकरणों में तत्परतापूर्वक, इच्छित रूप से 45 दिन के भीतर मजिस्टीरियल जांच कराई जाय और मृतक के सम्बन्धियों, प्रत्यक्षदर्शियों, मुठभेड़ की परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले गवाहों, सम्बन्धित थाने के अभिलेखों आदि का उक्त जांच में अवश्य परीक्षित किया जाय।
- (5) मजिस्टीरियल जांच, पुलिस विवेचना या अन्य एजेन्सी की जांच, यथा-सीवी, सीआईडी जांच आदि में दोषी पाये जाने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्परतापूर्वक अभियोजन एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।
- (6) पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही की घटना के तत्काल बाद सम्बन्धित अधिकारियों को आउट आफ टर्न प्रोन्ति या वीरता पुरस्कार प्रदान न किये जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त प्रकार के पुरस्कार आदि प्रत्येक दशा में केवल तभी प्रदान किये जाय जबकि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वीरता का कृत्य संदेह से परे स्थापित हो जाय।
- (7)(ए) पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही में हुई मृत्यु के समस्त प्रकरणों की सूचना सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा मृत्यु के 48 घण्टे के अन्दर मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कारपनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001(दूरभाष संख्या-011-23384012 फैक्स नं0-011-23384863/23384012, Email-jrlawnhrc@nic.in को निम्न प्रारूप पर भेजी जाय :-

1. घटना की तिथि एवं दिनांक
2. सम्बन्धित थाना, जनपद
3. मृत्यु की परिस्थितियां
 - (i) मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ
 - (ii) विधिविरुद्ध जमावड़े को हटाने की प्रक्रिया में
 - (iii) गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में
 - (iv) अन्य कोई परिस्थिति
4. घटना के संक्षिप्त तथ्य
5. आपराधिक केस संख्या
6. जांच एजेन्सी

- (बी) पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही में हुई मृत्यु के समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा 03 माह के अन्दर एक द्वितीय रिपोर्ट मा0 आयोग को उपर्युक्त इंगित पते पर निम्न प्रारूप पर भेजी जाय:-

1. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
2. पंचायतनामा रिपोर्ट
3. मजिस्टीरियल जांच/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के परिणाम:-


शेष पृष्ठ-3 पर.....

- (i) यदि मृत्यु के लिये पुलिस अधिकारी दोषी पाये गये हों , तो उनका नाम व पदनाम
- (ii) बल प्रयोग एवं की गयी कार्यवाही उचित / विधि सम्मत थी अथवा नहीं?
- (iii) आत्मरक्षा के अधिकार के उचित प्रयोग के बारे में गन पाउडर के अवशेष के पाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए मृतक के 'हैण्डवाश' से सम्बन्धित फोरेन्सिक जांच का परिणाम।
- (iv) मृतक एवं उसके साथियों द्वारा कथित रूप से प्रयोग किये गये हथियारों की जांच के बारे में ' बेलिस्टिक विशेषज्ञ' की रिपोर्ट।

3- कृपया शासन द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,


(ए०सी० शर्मा)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु:-
 - (1) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र०, लखनऊ।
 - (2) समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
 - (3) समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र , उत्तर प्रदेश।
2. प्रतिलिपि निम्न को कृपया सूचनार्थ:-
 - (1) समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - (2) समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।


निम्न
13/7/12
हस्ताक्षर

Justice G.P. Mathur
Acting Chairperson
(Former Judge, Supreme Court of India)



National Human Rights Commission
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110 001
Phone: 91-11-23387328
Fax: 91-11-2338 4863
E-mail: gp.mathur@nic.in

D.O. No.4/7/2008-PRP&P

12th May, 2010

Dear Chief Minister,

The National Human Rights Commission is concerned about the death during the course of a police action. The police does not have a right to take away the life of a person. Under the scheme of criminal law prevailing in India, it would not be an offence if the death is caused in exercise of right of private defence. Another provision under which the police officer can justify causing the death of a person, is section 46 of the Criminal Procedure Code. This provision authorizes the police to use reasonable force, even extending up to the causing of death, if found necessary to arrest the person accused of an offence punishable with death or imprisonment for life. Thus, it is evident that death caused in an encounter if not justified would amount to an offence of culpable homicide.

The Commission considered the issue and recommended a procedure to be followed in the cases of encounter death by all the States/UTs in the country. The guidelines were conveyed to all the States/UTs vide letter dated 29.3.1997, which were further revised vide letter dated 2.12.2003.

The Commission finds that most of the States are not following the recommendations issued by it in the true spirit. The matter was again considered by the Commission and it was felt that the existing guidelines require some modifications. After a careful consideration of the whole matter, the Commission has revised the procedure to be followed by the States/UTs in all cases of deaths in the course of police action. Revised guidelines are enclosed herewith.

It is requested that the concerned authorities of the State/UT may be given appropriate instructions to follow the enclosed guidelines in all cases where death is caused in police action.

With regards,

Yours sincerely,

G.P. Mathur
(G P Mathur)

Shri K. Rosaiah,
Chief Minister,
Government of Andhra Pradesh,
Secretariat,
Hyderabad-500 022.

and as per list attached

Revised Guidelines/Procedures to be followed in cases of deaths caused in police action.

- A. When the police officer in charge of a Police Station receives information about death in an encounter with the Police, he shall enter that information in the appropriate register.
- B. Where the police officers belonging to the same Police Station are members of the encounter party, whose action resulted in death, it is desirable that such cases are made over for investigation to some other independent investigating agency, such as State CBCID.
- C. Whenever a specific complaint is made against the police alleging commission of a criminal act on their part, which makes out a cognisable case of culpable homicide, an FIR to this effect must be registered under appropriate sections of the I.P.C. Such case shall be investigated by State CBCID or any other specialised investigation agency.
- D. A magisterial enquiry must be held in all cases of death which occurs in the course of police action, as expeditiously as possible, preferably, within three months. The relatives of the deceased, eye witness, witnesses having information of the circumstances leading to encounter, police station records etc. must be examined while conducting such enquiry.
- E. Prompt prosecution and disciplinary action must be initiated against all delinquent officers found guilty in the magisterial enquiry/ police investigation.
- F. No out-of-turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such rewards are given/ recommended only when the gallantry of the concerned officer is established beyond doubt.
- G. (a) All cases of deaths in police action in the states shall be reported to the Commission by the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the District within 48 hours of such death in the following format:
1. Date and place of occurrence
 2. Police station, district

P.T.O.

3. Circumstances leading to death:
 - (i) Self defence in encounter
 - (ii) In course of dispersal of unlawful assembly
 - (iii) In the course of effecting arrest
 - (iv) Any other circumstances
4. Brief facts of the incident
5. Criminal case No.
6. Investigating agency

(b) A second report must be sent in all cases of death in police action in the state by the Sr. Superintendent of Police / Superintendent of Police to the Commission within three months providing following information:

1. Post mortem report
2. Inquest report
3. Findings of the magisterial enquiry/ enquiry by senior officers disclosing:-
 - (i) Names and designation of police official, if found responsible for the death;
 - (ii) Whether use of force was justified and action taken was lawful;
 - (iii) Result of the forensic examination of 'handwash' of the deceased to ascertain the presence of residue of gun powder to justify exercise of right of self defence; and
 - (iv) Report of the Ballistic Expert on examination of the weapons alleged to have been used by the deceased and his companions.

११५५

56

अतिमहत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता/रा०मा०आ०प्रकरण
संख्या:2056/छ:-मा०-1/12-44(विविध)/06

प्रेषक,

आर०एम० श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(मानवाधिकार)अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक 04 जुलाई
जून, 2012

विषय: पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्धित में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं०-361पीआर/छ:-मा०-1/12-44(विविध)/06, दिनांक 24.08.2006 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए मा० आयोग के पत्र दिनांक 12.05.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा की गई संशोधित संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में प्रदेश पुलिस द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक एवं सावधानी के साथ इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों में पुलिस बल के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो व वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। किसी भी दशा में नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन/उल्लंघन न होने पाये और इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुठभेड़/पुलिस कार्यवाही के प्रकरणों में कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय:-

- (1) पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सूचना उचित पंजिका में दर्ज की जाय।
- (2) जिन मामलों में सम्बन्धित थाने के अधिकारी ही मुठभेड़ दल के सदस्य हों और मुठभेड़/कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाय तो ऐसे सभी मामलों में यह अपेक्षित है कि प्रकरण की किसी अन्य स्वतंत्र जॉच एजेन्सी, यथा-सीबी, सीआईडी से जॉच कराई जाय।
- (3) जिन मामलों में पुलिस बल पर संज्ञेय आपराधिक हत्या के कृत्य के आक्षेप हों, उनमें आई०पी०सी० की संगत धाराओं के अन्तर्गत एफ०आई०आर० प्रत्येकदशा में दर्ज की जाय। ऐसे मामले की जॉच सीबी, सीआईडी अथवा किसी अन्य विशिष्ट जॉच एजेन्सी से कराई जाय।
- (4) पुलिस कार्यवाही में मृत्यु के सभी प्रकरणों में तत्परतापूर्वक, इच्छित रूप से 45 दिन के भीतर मजिस्टीरियल जॉच कराई जाय और मृतक के सम्बन्धियों, प्रत्यक्षदर्शियों, मुठभेड़ की परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले गवाहों, सम्बन्धित थाने के अभिलेखों आदि का उक्त जॉच में अवश्य परीक्षित किया जाय।
- (5) मजिस्टीरियल जॉच, पुलिस विवेचना या अन्य एजेन्सी की जॉच, यथा-सीबी, सीआईडी जॉच आदि में दोषी पाये जाने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्परतापूर्वक अभियोजन एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।
- (6) पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही की घटना के तत्काल बाद सम्बन्धित अधिकारियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति या वीरता पुरस्कार प्रदान न किये जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रकार के पुरस्कार आदि प्रत्येकदशा में केवल तभी प्रदान किये जाय जबकि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वीरता का कृत्य संदेह से परे स्थापित हो जाय।

६ (HR)

1/12

हानिदेवक के लक्ष्यक. ••

1/12

९

1/12

पुलिस महानिदेशक
(मानवाधिकार),
लखनऊ

7/12

(7)(a) पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही में हुई मृत्यु के समस्त प्रकरणों की सूचना सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा मृत्यु के 48 घण्टे के अन्दर मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष संख्या-011-23384012 फैक्स नं0-011-23384863/23384012, Email--jrlawnhrc@nic.in)

~~jrlawnhrc@nic.in~~ को निम्न प्रारूप पर भेजी जाय:-


1. घटना की तिथि व दिनांक
2. सम्बन्धित थाना, जनपद
3. मृत्यु की परिस्थितियों:-
 - (i) मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ
 - (ii) विधिविरुद्ध जमावड़े को हटाने की प्रक्रिया में
 - (iii) गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में
 - (iv) अन्य कोई परिस्थिति
4. घटना के संक्षिप्त तथ्य
5. आपराधिक केस संख्या
6. जॉच एजेन्सी

(b)पुलिस मुठभेड़/कार्यवाही में हुई मृत्यु के समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा 03 माह के अन्दर एक द्वितीय रिपोर्ट मा0 आयोग को उपर्युक्त इंगित पते पर निम्न प्रारूप पर भेजी जाय:-

1. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
2. पंचायतनामा
3. मजिस्टीरियल जॉच/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जॉच के परिणाम:-
 - (i) यदि मृत्यु के लिए पुलिस अधिकारी दोषी पाये गये हों, तो उनका नाम व पदनाम।
 - (ii) बल प्रयोग एवं की गई कार्यवाही उचित/विधि सम्मत थी अथवा नहीं?
 - (iii) आत्मरक्षा के अधिकार के उचित प्रयोग के बारे में गन पाउडर के अवशेष के पाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए मृतक के 'हैण्डवाश' से सम्बन्धित फोरेन्सिक जॉच का परिणाम।
 - (iv) मृतक एवं उसके साथियों द्वारा कथित रूप से प्रयोग किये गये हथियारों की जॉच के बारे में 'बेलिस्टिक विशेषज्ञ' की रिपोर्ट।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से जारी कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।